

फर्द अहकाम

प्रिंसीपल वनाम ओमप्रकाश

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)  
28/1/23

क्र. आ. या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
05/23	<p>दावा वकील वादी ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता होकर पेश हुई। पुरखन दर्ज रजिस्टर किया जावे। किया जावे। वकील वादी उप. है। परिवारीगण की तलवी जर्ने Rev. AD से जारी होकर पत्रावली दिनांक 5/9/23 को पेश हो <del>हुने</del></p>	
05/23	<p>उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर) पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपखण्ड वकील वादी ने पेश की। की खीर पेश की तो लेखक ही पत्रावली इंतजार (11/11/23) को पेश होगी</p>	
2/11/23	<p>उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर) पत्रावली पेश हुयी/R.O. साहब/कार्य कन्वेंशन युवावस्था सेक्टर जनरल दिनांक 16/1/24 को पेश हो।</p>	
16/1/24	<p>पत्रावली पेश हुयी/R.O. साहब/कार्य अन्य कार्य सेक्टर जनरल दिनांक 26/3/24 को पेश हो।</p>	
26/3/24	<p>पत्रावली पेश हुयी वकील वादी व स्वयं वादी को लायकाल 6PM तक बार - बार आवाज लगाने के बावजूद हाजीर अदालत नहीं आया न ही वादी की ओर से अन्य कोई पर्यवेक्षण हेतु हाजीर अदालत आया अतः दावा अदम हाजरी एवं अदम पर्यवेक्षण में खारिज किया जाता है। पत्रावली वाद तत्काल दायित्व दफ्तर है (2)</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)